



मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों के लिये दशिया-नरिदेश

चरचा में क्यों?

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों के लिये नए दशिया-नरिदेश जारी किये हैं। साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिमों के वषिय में जागरूकता फैलाने के लिये मंत्रालय द्वारा इन नए दशिया-नरिदेश में 8 सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को वशिष रूप से स्पष्ट कया गया।

वर्तमान स्थिति

- डजिटल सुरक्षा फर्म गेमाल्टो की एक रिपोर्ट के मुताबकि, 2017 में भारत में 29 आँकड़ों के उल्लंघन (Data Breach) की घटनाओं में से 28 फीसदी सरकारी महकमे से जुड़ी थीं। इनमें से 21 फीसदी खुदरा, 17 फीसदी शकिषा और 7 फीसदी स्वास्थय सेवा क्षेत्र से संबंधति मामले थे।
- 2017 में घटति लगभग 77% घटनाओं में डाटा उल्लंघन के संबंध में "identity theft" सबसे अहम था। डाटा उल्लंघन के दूसरे सर्वाधिक प्रचलति प्रकार का "सरकारी आँकड़ों तक पहुँच" के रूप में प्रयोग कया गया।

प्रमुख 8 कार्यप्रणालियाँ

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी दशिया-नरिदेशों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अनुसरण कये जाने के लिये नमिनलखति 8 प्रमुख कार्यप्रणालियों का उल्लेख कया गया है:

- कंप्यूटर और नेटवर्क उपकरणों की एक वसितृत जाँच और वभिग द्वारा प्रबंधति सभी प्रकार के आँकड़ों (data) की पहचान करके आईटी परविश के वषिय में जानकारी प्राप्त करना।
- साइबर हमलों और सुरक्षति साइबर कार्यकलापों जैसे क मजबूत पासवर्ड, कई चरणों वाला प्रमाणीकरण, सुरक्षति इंटरनेट ब्राउज़िंग, सोशल मीडिया सुरक्षा, यूएसबी उपकरणों का उपयोग इत्यादि के लिये कर्मचारियों को शकिषति करना और प्रशकिषण देना।
- वभिग के लिये सूचना सुरक्षा नीतकी समीक्षा करने के साथ-साथ उसमें आवश्यक सुधार करना।
- वास्तवकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्राप्त करना तथा ऑपरेटिंग ससि्टम को नयिमति रूप से सामयकि बनाना।
- एक औपचारकि साइबर सुरक्षा नीत फ्रेमवर्क लागू करना जसिमें प्रशासन, जोखमि प्रबंधन, अनुपालन, डाटा बैक-अप, प्रवर्तन और उपयोग नीत वक्तव्य शामिल हों।
- गूढलेखन (encryption) के साथ मजबूत डवाइस सुरक्षा बनाना तथा अभलिखों (logs) को सुरक्षति बनाए रखने के अलावा आँकड़ों (data) को लीक होने से बचाना।
- साइबर सुरक्षा की वयापक और नयिमति समीक्षा करना।
- साइबर-प्रतिक्रिया की रणनीतिके साथ मलिकर ससि्टम प्रक्रियाओं पर नगिरानी रखने और अनयिमतिताओं का पता लगाने के लिये उपकरणों का प्रयोग करना।

गेमाल्टो के अनुसार

- गेमाल्टो के अनुसार, वर्ष 2017 के दौरान भारत में कुल 3.24 मलियन अभलिखों (Records) की चोरी हुई या इतने ही अभलिखों की सुरक्षा में संध लगी।
- ऐसी स्थिति में आँकड़ों की गोपनीयता या नजिता के उल्लंघन संबंधी घटनाओं पर नयितरण रखने के लिये एनक्रिप्शन (गूढलेखन), प्रमुख प्रबंधन तथा उपयोगकर्तता पहुँच प्रबंधन (User access management) जैसा एक व्यवस्थापन होना चाहये जो वशि्वसनीय होने के साथ-साथ यह सुनशिचति कर सके कि आँकड़ों की शुद्धता के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।
- हेराफेरी की चतिओं के बावजूद, यह व्यवस्था आँकड़ों को सुरक्षति रखने और चोरी हो जाने पर उस डाटा का प्रयोग नहीं कये जाने का आश्वासन देती है।

भारत में लगभग 5.62 लाख लोगों की व्यक्तगित जानकारी फेसबुक से "चोरी होने" के बाद डाटा संरक्षण और गोपनीयता पर बहस के मुद्दे ने केंद्रीय स्वरूप धारण कर लया है। स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति में सरकार के साथ-साथ आवाम को भी इस वषिय में और अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है।

